विधान परिषद के तृतीय सत्र 2024 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित डा0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1 (क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 27 अगस्त, 2024 तक कितने खिलाडियों को खेल कोटे के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान की गयी है ?	जी हां। खेल विभाग द्वारा प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडियों हेतु प्रख्यापित ''उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022'' के अधीन दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 27 अगस्त, 2024 तक 07 खिलाडियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है।
(ख) प्रदेश में खिलाडियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की तरफ से कौन-कौन सी योजनायें वर्तमान में प्रचलित हैं और दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 27 अगस्त, 2024 तक कितने खिलाडियों को उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है ?	खेल विभाग द्वारा प्रदेश में खिलाडियों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु निम्नलिखित योजनायें वर्तमान में प्रचलित हैं :- 1. **प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन :-** पूरे प्रदेश में खेल विभाग 84 स्टेडियम हैं, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के पंजीकृत खिलाडियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। उक्त प्रशिक्षण शिविरों में कुल 1,13,444 खिलाडी लाभांवित हो रहे हैं, जिनमें बालकों की संख्या- 87,457 तथा बालिकाओं की संख्या- 25,987 है। 2. **विभिन्न स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन-** खिलाडियों को प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला, प्रदेश एवं अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। प्रश्नगत अवधि में कुल 362 प्रतियोगिताओं में 42,303 खिलाडियों को लाभान्वित किया गया है। 3. **राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाना-** उक्त अवधि में कुल 360 खिलाडियों को रूपये

64.192 करोड (चौसठ करोड उन्नीस लाख बीस हजार) तथा 07 प्रशिक्षकों को रूपये 08.00 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है।

4. **प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया जाना-** उक्त अवधि में कुल 06 खिलाडियों को सम्मान सहित रूपये 18.66 लाख की प्रश्नगत पुरस्कार राशि प्रदान की गयी है।

5. **भूतपूर्व प्रसिद्ध पहलवानों/महानुभाव खिलाडियों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना –** उक्त अवधि में कुल 220 खिलाडियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

6. **प्रदेश के खिलाडियों को आर्थिक सहायता/फैलोशिप प्रदान किया जाना-** एकलव्य क्रीडा कोष नियमावली-2021 के अन्तर्गत उक्त अवधि में 144 खिलाडियों को कुल रू. 104.45 लाख की आर्थिक सहायता/फैलोशिप प्रदान की गयी है।

7. **आवासीय क्रीडा छात्रावास सुविधा दिया जाना-** प्रदेश के 18 जनपदों में संचालित 16 खेलों के 44 आवासीय क्रीडा छात्रावासों में प्रवेश प्रदानकर निःशुल्क आवास, भोजन, किट, शिक्षा इत्यादि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में 670 बालक एवं 220 बालिकाओं को उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

8. स्पोर्टस कालेजेज का संचालन - खेल विभाग, उ0प्र0 के अंतर्गत प्रदेश में 03 स्पोर्टस कालेजेज गुरू गोबिन्द सिंह स्पोर्टस कालेज, लखनऊ, बीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर व मेजर ध्यानचन्द स्पोर्टस कालेज, सैफई (इटावा) संचालित है, जिनमें क्रमशः 315 छात्र, 390 छात्र/छात्रायें तथा 490 छात्र पंजीकृत हैं।

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

गिरीश चन्द्र यादव
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)